ालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
26 / प्रा.पत्र / 2021	16.04.2021	29.09.2021

श्री गिरिराज शर्मा, तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांरा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा। –प्रार्थी

–बनाम–

श्री देवकीनन्द माहेश्वरी पुत्र श्री रामलक्ष्मण माहेश्वरी, विक्रेता एवं मालिक मैसर्स गणपति किराना स्टोर, मैन बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी। निवासी करकरा बाजार, केशवरायपाटन, जिला बून्दी। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से–श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्थान पर
श्री सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

–: निर्णय :–

श्री गिरिराज शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये हैः–

1. मैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 26.07.2011 एवं कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 470 दिनांक 09.08.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 775 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, जिला बून्दी आंवटित किया गया है और अधिसूचना कमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 496 दिनांक 11.03.2012 के अनुसार बून्दी जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.11.2020 को समय 12:30 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैन बाजार केशवरायपाटन, स्थित फर्म गणपति किराना स्टोर पर पहुंचा। वहां पर श्री देवकीनन्दन माहेश्वरी पुत्र श्री रामलक्ष्मण माहेश्वरी, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। फर्म का खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मौके पर वास्ते निरीक्षणार्थ मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्टेट

A7/2

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक प्लास्टिक बोटल पैकिंग प्रत्येक 1 ली0 के 10 नग में उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक में मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुये, प्लास्टिक बोटल पैकिंग सहित ही 4 नग (प्रत्येक 1ली0) बास्ते नमूना जांच खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 560/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।

4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक के 4 नगों को प्लास्टिक बोटल पैकिंग सहित ही चार बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में एक) विभाजित किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थो का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू–1585 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर तात्कालिक डी.ओ. बून्दी डॉ. गोकुल लाल मीणा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. यू–1585 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर मेरे द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी. ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/287 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 482/पीएचएल/कोटा/एक्ट/2020/570 दिनांक 11.12.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।
7. मेरे द्वारा नियमानुसार अनुसंधान की कार्यवाही कर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को पत्रावली अभियोजन मंजूरी के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

A7/3

कित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा पत्र कमांक एफएसएसए/2021/34 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी केशवरायपाटन में गणपति किराना स्टोर का संचालन करता हैं जिसका प्रोपाइटर भी स्वयं हैं। खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक विक्रय हेतु अन्य होलसेलर से खरीदकर लाता हैं और कुछ होलसेलर खरीद बिल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल श्री पार्वती ब्राण्ड डबल फिल्टर्ड स्वास्तिक एक लीटर प्लास्टिक पैक होलसेलर से खरीदा था, होलसेलर द्वारा बिल नहीं दिया गया। इस कारण अप्रार्थी श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बिल उपलब्ध नहीं करवा पाया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ खरीद बाबत् मौखिक रूप से निवेदन किया गया था। अप्रार्थी कम पढ़ा लिखा होने के कारण नियमों का ज्ञान नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल नहीं ले सका। उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में ही खरीदा एवं विक्रय किया हैं। इसमें अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। उक्त खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए दोषी निर्माता कंपनी हैं जिसका नाम पता बोतल पर अंकित हैं। अप्रार्थी नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल नहीं ले सका और भविष्य में सभी खरीदे गये खाद्य पदार्थों का खरीद बिल नहीं लेने की पुनर्वावृति नहीं करेगा। सहानुभूति का रूख अपनाते हुये प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थी समाअत की गई।

बवक्त बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गिरिराज शर्मा के स्थान पर श्री सत्यनारायण गुर्जर न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया गया हैं, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावें।

अप्रार्थी ने दोराने बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी केशवरायपाटन में गणपति किराना स्टोर का संचालन करता हैं जिसका प्रोपाइटर भी स्वयं हैं। खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक विक्रय हेतु अन्य होलसेलर से खरीदकर लाता हैं और कुछ होलसेलर खरीद बिल देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल श्री पार्वती ब्राण्ड डबल फिल्टर्ड स्वास्तिक एक लीटर प्लास्टिक पैक होलसेलर से खरीदा था, होलसेलर द्वारा बिल नहीं दिया गया। इस कारण अप्रार्थी श्रीमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बिल उपलब्ध नहीं करवा पाया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ खरीद बाबत् मौखिक रूप से निवेदन किया गया था। अप्रार्थी कम पढ़ा लिखा होने के कारण नियमों का ज्ञान नहीं होने से उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल नहीं ले सका। उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में ही खरीदा एवं विक्रय किया हैं। इसमें अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई हैं। उक्त खाद्य पदार्थ में मिलावट के लिए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

निर्माता कंपनी हैं जिसका नाम पता बोतल पर अंकित हैं। अप्रार्थी नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल नहीं ले सका और भविष्य में सभी खरीदे गये खाद्य पदार्थों का खरीद बिल नहीं लेने की पुनर्वावृति नहीं करेगा। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निर्णय पारित करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ मुंगफली तेल, ब्राण्ड–श्री पार्वती स्वास्तिक का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 10,000/– (अक्षरे–दस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)